

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम
श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 334 / 12

संस्थित दिनांक 18.04.2012

फा.नं.234503000712012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड
 जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन।

विरुद्ध

1. संजय सैय्याम पिता दरबारीसिंह सैय्याम,
जाति गोंड, उम्र 28 वर्ष, निवासी बैहर
2. दरबारीसिंह सैय्याम पिता हुकुमसिंह सैय्याम,
जाति गोंड, उम्र 50 वर्ष, निवासी साईं नगर बैहर

.....अभियुक्तगण।

--:: निर्णय ::--::

दिनांक 22.09.2017 को घोषित:-

01- अभियुक्त संजय सैय्याम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304ए एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-3/181, 146/196, 130(1)/177 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 13.03.2012 को समय करीब 01:00 बजे ग्राम पौनी में रोड़ थाना मलाजखण्ड के अंतर्गत लोकमार्ग पर मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ए.8179 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर चीमनलाल पंचतिलक को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती तथा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस एवं बीमा कराये चलाया तथा उक्त वाहन चालन का लायसेंस पुलिस अधिकारी नहीं किया तथा आरोपी दरबारी सैय्याम के विरुद्ध मो.व्ही. एक्ट की धारा-5/180, 146/196 के तहत आरोप है कि उसने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने आधिपत्य की मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ए.8179 को यह जानते हुए कि वाहन चालक संजय सैय्याम के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं है, फिर भी उक्त वाहन उसे चलाने हेतु दिया तथा उक्त वाहन को बिना बीमा कराये चलवाया।

02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी हुमेन्द्र ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई मलाजखण्ड से ड्यूटी कर वापस आ रहा था, तभी ग्राम पौनी के पास एक मोटर सायकिल चालक तेज लापरवाहीपूर्वक मोटर सायकिल चलाकर उसके भाई की मोटर सायकिल से टकरा दिया, जिससे उसे काफी चोटें आईं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तत्पश्चात अस्पताल तहरीर प्राप्त होने पर घायल मारफत के एक्सीडेण्ट से मृत्यु होने की संबंधी प्राप्त होने पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। विवेचना दौरान मर्ग जांच पर आरोपी का नाम ज्ञात होने तथा विवेचना पूर्ण होने पर अपराध में धारा-304(ए) ता0हि0 का ईजाफा

किया गया। आरोपी संजय से वाहन के कागजात के संबंध में पूछे जाने पर कागजात एवं लायसेंस पेश नहीं किया, जिससे प्रकरण में मो.व्ही. एक्ट की धारा-130(1)/177, 146/196 बढ़ाई गई तथा वाहन मालिक दरबारी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत धारा-5/180, 146/196, के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपी संजय को गिरफ्तार कर अपराध जमानती होने से रिहा किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— अभियुक्त संजय सैय्याम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304ए एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-13/181, 146/196, 130(1)/177 तथा आरोपी दरबारी सैय्याम के विरुद्ध मो.व्ही. एक्ट की धारा-5/180, 146/196 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्तगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या अभियुक्त संजय सैय्याम ने दिनांक 13.03.2012 को समय करीब 01:00 बजे ग्राम पौनी मेन रोड़ थाना मलाजखण्ड के अंतर्गत लोकमार्ग पर मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी. 50-एम.ए. 8179 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर चिमनलाल पंचतिलक को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?
2. क्या अभियुक्त संजय सैय्याम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध लायसेंस एवं बिना बीमा कराये चलाया ?
3. क्या अभियुक्त संजय सैय्याम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन चालन का लायसेंस पुलिस अधिकारी द्वारा मांगने पर भी पेश नहीं किया ?
4. क्या अभियुक्त दरबारी सैय्याम उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने आधिपत्य की मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ए.8179 को यह जानते हुए कि वाहन चालक संजय सैय्याम के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं होना जानते हुए उसे चलाने हेतु दिया ?
5. क्या अभियुक्त दरबारी सैय्याम उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा कराये चलवाया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 का निष्कर्ष :-

5— साक्षी हुमेन्द्र कुमार अ.सा.01 ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है तथा मृतक चिमनलाल उसका भाई था। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को उसे सूचना मिली कि उसके भाई चिमनलाल का पौनी रोड़ पर मोटर सायकिल से एक्सीडेंट हो

गया है। उक्त सूचना पर वह घटनास्थल पर गया था, जहां पर उसने रोड़ पर खून लगा हुआ देखा था। घायलों को शासकीय अस्पताल मलाजखण्ड ले गए थे। घटनास्थल पर दोनों गाड़ी गिरी हुई अवस्था में पड़ी थी। फिर वह शासकीय अस्पताल मलाजखण्ड गया था तो ईलाज के दौरान चिमनलाल की मृत्यु हो गई थी। उसे बाद में पता लगा था कि दोनों लोग तेज गति से आ रहे थे और उसी दौरान ट्रक से साईड लेने के कारण दुर्घटना हो गई थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना मलाजखण्ड में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे बाद में पता चला था कि आरोपी ने अपनी मोटरसायकिल को लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके भाई की मोटर सायकिल को टक्कर मार दिया था, पुलिस ने उसके समक्ष डे कुमार से वाहन क्रमांक एम.पी.50 एम.बी.4573 के कागजात एवं चालक चिमनलाल का लायसेंस जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-2 अनुसार जप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि आरोपी के पास मोटर सायकिल चलाने का लायसेंस नहीं था, आरोपी को मोटर सायकिल ठीक से चलाते नहीं बनती थी। साक्षी के अनुसार आरोपी पुलिस गवाह में था, इसलिए जानता था। पुलिस ने उसके समक्ष मृतक चिमनलाल की मृत्यु के संबंध में पंचायतनामा प्रदर्श पी-3 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-4 की कार्यवाही की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

6— साक्षी हुमेन्द्र कुमार अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं था, उसे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी, घटनास्थल पर उसके जाने के पूर्व ही काफी भीड़ हो चुकी थी, किसकी लापरवाही से घटना घटित हुई, वह नहीं बता सकता, किन्तु यह अस्वीकार किया कि मृतक तेज गति से वाहन चला रहा था, इस कारण घटना घटित हुई थी, उसके पास ड्राइविंग लायसेंस नहीं था, ट्रक को बचाने के चक्कर में घटना घटित हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी और मृतक की मोटर सायकिल का नंबर नहीं बता सकता, किन्तु यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने नक्शा पंचायत प्रदर्श पी-4 उसके समक्ष नहीं बनाया था।

7— साक्षी तारेन्द्र पटले अ.सा.02 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से तीन वर्ष पूर्व लगभग एक बजे ग्राम पौनी की है। वह अपने दुकान के पीछे घर पर था। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर घटनास्थल पहुंचा तो वहां दो मोटर सायकिल दुर्घटनाग्रस्त थी। आहत सी.एल. पंचलितक रोड़ पर पड़े हुए थे साथ ही दूसरी मोटर सायकिल के एक पुरुष एवं एक महिला भी वहां गिरे पड़े थे। सी.एल. पंचलितक को चेहरे पर चोटें थी। घटना के बाद वह लोग उसे प्रायवेट वाहन में ईलाज के लिए मलाजखण्ड अस्पताल भिजवाये थे। ईलाज हेतु ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था, परंतु पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटना का

मौका नक्शा प्रपी.5 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल से दो मोटर सायकिल बजाज प्लेटिना एम.पी.50-एम.ए.-8179 और एम.पी.-50एम.डी.-4573 क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर जप्ती पत्रक प्रपी-06 बनाया था, परंतु जप्ती पत्रक प्रपी-06 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, किन्तु स्वीकार किया कि घटना दिनांक 13.03.12 की है। साक्षी ने अस्वीकार किया कि उसके सामने मेन रोड़ पर मोटर सायकिल चालक जो डबल सवारी था, जिसके पीछे एक लड़की बैठी थी, मोहगांव तरफ से तेज लापरवाहीपूर्वक अपनी मोटरसायकिल चलाकर लाया और मलाजखण्ड तरफ से अपनी मोटरसायकिल पर आ रहे सी.एल. पंचतिलक को ठोस मारा, एक गाड़ी का नंबर एम.पी.50एम.डी.4573 तथा दूसरी गाड़ी का नंबर एम.पी.50एम.ए.8179 था। साक्षी के अनुसार दोनों गाड़िया बजाज प्लेटिना थी, जिनका नंबर उसे याद नहीं है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि मोहगांव तरफ से आने वाली मोटर सायकिल चालक का नाम पूछने पर उसने अपना नाम संजय सैय्याम बताया था, संजय सैय्याम द्वारा तेज एवं लापरवाहीपूर्वक मोटर सायकिल चलाकर पंचतिलक की मोटर सायकिल को टक्कर मारा था। साक्षी ने उसका बयान प्रपी-07 पुलिस को देने से इंकार किया।

8— साक्षी तारेन्द्र पटले अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह घटना का दिनांक एवं समय नहीं बता सकता, जिस समय घटना घटित हुई, उस समय वह अपने घर पर पीछे बैठा हुआ था, घटना के पंद्रह मिनट बाद जब रोड़ तरफ आवाज आयी, तब वह रोड़ पर निकला था, उसने घटना घटित होते हुए नहीं देखा है, वह इसलिए नहीं बता सकता है कि घटना किसकी लापरवाही से घटित हुई, उससे पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की थी, उक्त घटनास्थल पर घटनायें होती रहती है, किन्तु यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसकी दुकान पर दो-तीन कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि पुलिस ने उसे पढ़कर नहीं सुनाया था, मौका-नक्शा प्रपी-05 पर उसने अपनी दुकान पर हस्ताक्षर किया था। वह यह नहीं बता सकता कि पुलिस ने मौका-नक्शा के कोरे कागज पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे तथा वह यह भी नहीं बता सकता कि मौका-नक्शा उसके समक्ष बनाया गया था या नहीं।

9— साक्षी पुष्पराज पारधी अ.सा.03 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से तीन वर्ष पूर्व लगभग एक बजे ग्राम पौनी की है। वह अपने दुकान के पीछे घर पर था। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर घटनास्थल पहुंचा तो वहां दो मोटरसायकिल दुर्घटनाग्रस्त थी। आहत सी.एल. पंचतिलक पड़े थे साथ ही दूसरी मोटर सायकिल के एक पुरुष व महिला भी वहां गिरे पड़े थे। सी.एल. पंचतिलक को चेहरे पर चोटें थी। घटना के बाद वह लोग उन्हें प्रायवेट वाहन में इलाज के लिए मलाजखंड अस्पताल भिजवाये थे। इलाज हेतु ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कहा कि वह यह नहीं बता सकता कि घटना दिनांक 13.03.2012 की है, घटना के समय वह अपनी दुकान के सामने बैठा था, उसके सामने

मेर रोड़ मोटरसायकिल चालक जो डबल सवारी था, जिसके पीछे एक लड़की बैठी थी, मोहगांव तरफ से तेज लापरवाहीपूर्वक अपनी मोटर सायकिल चलाकर लाया और मलाजखण्ड तरफ से अपनी मोटर सायकिल पर आ रहे सी.एल. पंचतिलक को ठोस मारा, पंचतिलक की गाड़ी का नंबर एम.पी.50एम.डी.4573 तथा दूसरी गाड़ी जिससे लापरवाहीपूर्वक चलाकर ठोस मारा उसका नंबर एम.पी. 50एम.ए.8179 था, मोहगांव तरफ से आने वाली मोटर सायकिल चालक का नाम पूछने पर उसने अपना नाम संजय सैय्याम बताया था, संजय सैय्याम द्वारा तेज एवं लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकिल चलाकर पंचतिलक की मोटर सायकिल को टक्कर मारा था। साक्षी ने प्रपी-08 बयान पुलिस को न देना व्यक्त किया।

10— साक्षी पुष्पराज पारधी अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि घटना दिनांक को किसी पार्टी के आह्वान पर किसी कारण से भारत बंद था, इसलिए घटना दिनांक को उसकी दुकान भी बंद थी, उसकी दुकान सामने है तथा घर उसके पीछे है। यह कहना सही है कि दुकान बंद होने के कारण वह अपने घर पर पीछे की तरफ था, घटना की आवाज सुनकर वह सामने रोड़ तरफ निकला था, उसके जाने के पहले भीड़ हो चुकी थी, उसने घटना होते हुए नहीं देखा था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस बयान में गाड़ियों का नम्बर नहीं बताया था, उसने घटना होते हुए नहीं देखा है, इसलिए नहीं बता सकता कि घटना किसकी लापरवाही से हुई थी। साक्षी के अनुसार घटनास्थल को देखने पर बैहर की ओर से आने वाली मोटर सायकिल विपरीत दिशा में थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह यह नहीं बता सकता कि वह किस कारण से विपरीत दिशा में थी, रांग साईड वाली बात वह अनुमान के आधार पर बता रहा है।

11— साक्षी सुरेश धुर्वे अ.सा.09 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब छः-सात साल पूर्व पारधी की दुकान के सामने ग्राम पौनी की है। घटना के समय एच.सी.एल. में काम करने वाले पंचतिलक की मोटर सायकिल का अन्य मोटर सायकिल से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसने अन्य मोटर सायकिल पर सवार लड़का, लड़की को एम.सी.पी. अस्पताल मलाजखण्ड में अपनी गाड़ी से ईलाज हेतु भर्ती कराया था। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी। घटना में गलती दूसरी मोटर सायकिल चालक की थी, क्योंकि उसने तेज गति से चलाकर पंचतिलक की मोटर सायकिल को टक्कर मारा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी, दूसरी मोटर सायकिल कौन चला रहा था, वह नहीं जानता है, उसने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा था। साक्षी के अनुसार आवाज आने पर उसने देखा था।

12— साक्षी दयालसिंह अ.सा.08 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब चार-पांच साल पूर्व ग्राम पौनी की है। घटना के समय ग्राम पौनी में एक्सीडेंट हुआ था, जिसके घायल व्यक्ति को उसने पुलिसवालों के कहने पर अपनी स्कार्पियो गाड़ी से एम.सी.पी. अस्पताल छोड़ा था। इसके अलावा उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे

पूछताछ नहीं की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उसे घायल व्यक्ति के बारे में जानकारी नहीं है तथा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, इसकी भी उसे जानकारी नहीं है।

13— साक्षी डॉ० एल.एन.एस. उइके अ.सा.07 ने कहा है कि वह दिनांक 13.03.12 को खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर बिरसा में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मलाजखण्ड के आरक्षक अजय बैस क्रमांक-212 के द्वारा शव परीक्षण हेतु चिमनलाल को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने शव ठंडा और चित्त अवस्था में होना पाया था। शव की आंखें फैली हुई थी। शव के दोनों हाथ और पैर में राईगर मार्टिस था, त्वचा और उंगलियां के पोर पिले थे। उसके बाल सामान्य अवस्था में थे, मुँह और आंखें बंद थी। शव पर एक कटा-फटा घाव सिर के दाएं भाग पर होना पाया था, जिसके अंदर की हड्डी टूटी हुई थी और खून का रिसाव हो रहा था, जो आंशिक तौर पर जमा हुआ था। दाएं आंख के चारों ओर एक अनियमित आकार का घाव था, जहां रक्त वाहिकाएं कटी हुई थी और उससे भी रक्त का रिसाव हो रहा था, जो आंशिक रूप से जमा हुआ था। दाएं आंख के नीचे और गाल की हड्डी के बीच में एक कटा-फटा घाव था, जो टूटी हुई थी और उससे आंशिक रूप से जमा हुआ रक्तस्राव हो रहा था। उक्त सभी चोटों और घाव ग्रीवियस और जानलेवा स्वरूप की थी।

14— साक्षी डॉ० एल.एन.एस. उइके अ.सा.07 के अनुसार उसने आंतरिक परीक्षण करने पर शरीर के बाहरी भाग को देखने से मृतक की कद-काठी सामान्य प्रकार की थी। कपाल और मेरुदण्ड का आंतरिक परीक्षण करने पर खोपड़ी, कपाल, कशेरुका, सिल्ली, मस्तिष्क और मेरुरज्जू सभी पेल थे। शव की छाती के आंतरिक भाग का विच्छेदन पर पर्दा, पसली, कोमलस्य, फुफ्फुस, कंठ और श्वासनली, दाहिना फेफड़ा, बाया फेफड़ा पेरिऑन, ग्रसनी सभी पेल थे। आमाशय आंशिक रूप से खाद्य पदार्थ से भरी हुई थी। छोटी आंत और उसके भीतर की वस्तुएं द्रवीय भोज्य पदार्थ आंशिक रूप से भरी हुई थी। बड़ी आंत और उसके भीतर की वस्तुएं आंशिक रूप से मल पदार्थ से भरी हुई थी। यकृत, प्लीहा और गुर्दा पेल थे, मूत्राशय खाली था। भीतरी और बाहरी जननेन्द्रियां सामान्य थी। उसके मतानुसार मृतक की मृत्यु का कारण शरीर के चोटग्रस्त अंगों से अत्यधिक रक्तस्राव के फलस्वरूप जो शॉक हुआ, उससे मृत्यु हुई थी। मृतक के शरीर में जानलेवा और खतरनाक किस्म के घाव थे। मृतक की मृत्यु उसके शव परीक्षण के 12 से 24 घंटे के अंदर की थी।

15— साक्षी कपूरदास अ.सा.05 ने कहा है कि वह एम.सी.पी. अस्पताल मलाजखण्ड में वार्ड ब्याव के पद पर पदस्थ था। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसके समक्ष किसी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि संजय उर्फ सरयाम को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श-पी-10 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार

किया कि उसे घटना के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है और उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

16— साक्षी विजय कुमार उड़के अ.सा.06 ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी संजय को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया था, परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-10 के डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने प्रदर्श पी-10 पर पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था और उसने दस्तावेज पढ़कर नहीं देखे थे और ना ही पुलिस ने उसे पढ़कर बताया था।

17— साक्षी मनोज मागरे अ.सा.04 ने कहा है कि वह दिनांक 13.03.2012 को थाना मलाजखंड में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी उमेन्द्र कुमार की रिपोर्ट पर मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50 एम.ए.8179 के चालक के विरुद्ध अपराध धारा-279, 337 भा.द.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था, जो प्रपी01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को उसके द्वारा तारेन्द्र पटले, पुष्पराज पारधी प्रार्थी हुमेन्द्र पंचतिलक, दरबारीसिंह, दिनांक 17.03.2012 को कूपरदास एवं विजय कुमार, दिनांक 21.03.2012 को सुरेश धुर्वे, दयाल वरकड़े के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। उक्त दिनांक 13.03.2012 को तारेन्द्र पटले की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी-नक्शा तैयार किया था, जो प्रपी05 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को घटनास्थल से एक मोटर सायकिल बजाज प्लेटिना क्रमांक एम.पी.50एम.ए.8179 हल्के काले रंग की क्षतिग्रस्त हालत में तथा दूसरी मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50एम.बी. 4573 हल्के काले रंग की बजाज प्लेटिना जप्त किया था, जो प्रपी06 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18— साक्षी मनोज मागरे अ.सा.04 के अनुसार दिनांक 16.04.2012 को डेकुमार से क्षतिग्रस्त प्लेटिना गाड़ी क्रमांक एम.पी.50एम.बी.4573 के कागजात जप्त किया था, जो प्रपी02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा घटनास्थल पर घायल व्यक्ति चीमनलाल की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु जांच का पंचायतनामा, शव पंचनामा तैयार किया गया था, जो प्रपी-03 एवं 04 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा मृतक का पी.एम. फार्म भरकर शासकीय अस्पताल मोहगांव जरिये आरक्षक के रवाना किया गया था, जो प्रपी-09 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक 17.03.12 को आरोपी संजय सैय्याम को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी-10 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके एवं बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसके द्वारा आहत चीमनलाल पंचतिलक की मृत्यु हो जाने पर प्रकरण में धारा-304ए भा.द.सं. बढ़ायी गयी तथा आरोपी के द्वारा वाहन के कागजात एवं लायसेंस पेशन न करने के कारण प्रकरण में धारा-3/181, 146/196,

130(1)/177 मो.या. अधि. की धारा का ईजाफा किया गया तथा वाहन क्रमांक एम.पी.50एम.ए.8179 के मालिक को धारा-133 के नोटिस के तहत बिना लायसेंसधारी को वाहन चलाने देने पर धारा-5/180, 146/196 बढ़ायी गयी।

19— साक्षी मनोज मागरे अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि पुलिस थाना मलाजखण्ड में दोनों मोटरसायकिल चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसके द्वारा एफ.आई.आर. प्रपी-01 प्रार्थी हुमेन्द्र के बताये अनुसार लेखबद्ध न करके आरोपीगण को झूठा फंसाने के लिए आपने मन से लेखबद्ध किया था, घटनास्थल का नक्शा प्र.पी-05 उसके द्वारा थाने में बिना गवाहों की उपस्थिति में बनाया गया था, साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध न कर उसके द्वारा आरोपी को फंसाने के लिए अपने मन से लेखबद्ध किये गये थे। यह अस्वीकार किया कि प्रपी-10 की कार्यवाही भी उसके द्वारा झूठी की गयी थी, आरोपीगण को झूठा फंसाने के लिए उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध झूठे कथन किये गये है, उसके द्वारा वाहन मालिक को धारा-133 का कोई नोटिस नहीं दिया गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रकरण में उक्त दिया गया नोटिस प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह अस्वीकार है कि उक्त नोटिस देने के संबंध में झूठा कथन कर रहा है, मृतक चीमनलाल पंचतिलक के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस नहीं था, उक्त लायसेंस प्रकरण में संलग्न नहीं है, मृतक चीमनलाल के पास ड्रायविंग लायसेंस होने के संबंध में असत्य कथन कर रहा है।

20— उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त संजय द्वारा चालित वाहन से कारित दुर्घटना में मृतक चीमनलाल पंचतिलक की मृत्यु कारित हुई थी, क्योंकि प्रकरण में मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.50एम.ए.8179 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेख होना दर्शित है और यद्यपि किसी भी साक्षी ने अभियुक्त को वाहन चलाते देखने के कथन नहीं किये हैं, तथापि विवेचना अधिकारी की अखण्डनीय साक्ष्य से घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन सिद्ध होता है तथा स्वयं प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं किये है कि घटना के समय अभियुक्त अन्यत्र था और ना ही तत्संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है, परंतु क्या उक्त दुर्घटना अभियुक्त संजय की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण एक्सीडेंट हुआ था। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। घटना को किसी भी साक्षी नहीं देखा है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त संजय की उपेक्षा व उतावलेपन के संबंध में कोई विपरीत निष्कर्ष निकाला जाना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मौका नक्शा प्र.पी.05 से भी घटनास्थल सड़क के बीच में होना दर्शित है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी

साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को लोकमार्ग पर अपने वाहन मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी. 50-एम.ए.8179 को उपेक्षापूर्वक तथा उतावलेपन से चलाकर मृतक चीमनलाल पंचतिलक को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की जो कि आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-02 से 05 का निष्कर्ष :-

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 से 05 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

21- साक्षी मनोज मांगरे अ0सा0-04 का कथन है कि आरोपी संजय द्वारा उक्त वाहन मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी.50-एम.ए.8179 को बिना वैध लायसेंस एवं बीमा के चलाया जा रहा था तथा पुलिस अधिकारी द्वारा लायसेंस मांगने पर पेश नहीं करने से मो0या0 अधिनियम की धारा-3/181, 146/196, 130(3)/177 का ईजाफा किया गया था। अभियुक्त संजय द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट किये गये हैं। घटना के समय अभियुक्त संजय द्वारा वाहन का चालन साक्ष्य से सिद्ध है। दुर्घटना के समय वैध अनुज्ञप्ति, बीमा तथा दस्तावेज होने के विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार अभियुक्त पर था, क्योंकि विवेचक साक्षी द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त तथ्य को अस्वीकार किया गया है, परन्तु अभियुक्त द्वारा उक्त संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन दर्शित है। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना के समय वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति तथा बिना बीमा के चलाया गया तथा मौके पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये एवं वाहन मालिक अभियुक्त दरबारी द्वारा घटना के समय उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के व्यक्ति से बिना बीमा के चलवाया गया। फलतः अभियुक्त संजय को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 146/196, 130(3)/177 तथा अभियुक्त दरबारी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-5/180, 146/196 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

22- अभियुक्तगण के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उनके विरुद्ध नर्म रुख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उन्हें एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।

23- अतः अभियुक्त संजय को मोटर यान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 130(3)/177 के अपराध के लिए क्रमशः 500/- (पाच सौ) रुपये 1000/- (एक हजार) रुपये, 100/- (एक सौ) रुपये तथा अभियुक्त दरबारी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-5/180, 146/196 के अपराध के लिये 1,000-1,000/- (एक-एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया

जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्तगण को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

24— अभियुक्तगण प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहे हैं, उक्त संबंध में धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

25— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

26— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसायकिल क्रमांक एम.पी. 50-एम.ए.8179 वाहन के पंजीकृत स्वामी दरबारी पिता हुकुमसिंह तथा वाहन क्रमांक एम.पी.50एम.बी.4573 वाहन के पंजीकृत स्वामी डे कुमार पिता स्व0 चीमनलाल पंचतिलक की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

27— अभियुक्तगण को निर्णय की प्रतिलिपि धारा 363(1) द्र.प्र.सं. के तहत निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही /—

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)